

264 1086-107

12/5/11

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

:: बैठक कार्यवाही विवरण ::

आज दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को प्रातः 11.30 बजे श्री सिद्धार्थ महाजन, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट--"अ" पर सलग्न है।

प्रस्ताव संख्या -1 गत बैठक कार्यवाही विवरण की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 1 मार्च, 2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या - विकास कार्यों पर चर्चा।

2.1 - रु. 1.50 करोड़ से अधिक राशि के कार्यों के लिये मानक निविदा प्रपत्र का अनुमोदन :-

गत बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 3-(5) में जोधपुर विकास प्राधिकरण में रु. 1.50 करोड़ से अधिक राशि के कार्यों की निविदा हेतु मानक निविदा प्रपत्र अनुमोदन बाबत रखे गये थे। बैठक में निर्देश प्रदान किये गये कि प्रस्तावित मानक निविदा प्रपत्र को निदेशक अभियांत्रिकी, सचिव निदेशक वित्त की समिति अध्ययन करेगी। तत्पश्चात् अनुमोदन किया जावेगा।

इसी अनुसार अध्ययन पश्चात् समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.04.2011 को कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुमोदन कर दिया गया।

अतः रु. 1.50 करोड़ से अधिक राशि के कार्यों की निविदा के लिये मानक निविदा प्रपत्र अनुमोदन की पुष्टि हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बाद विचार-विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार मानक निविदा प्रपत्र स्वीकृति की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

2.2- परामर्शीय कार्यों की निविदा के लिये मानक निविदा प्रपत्र का अनुमोदन -

गत बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 3-(8) में जोधपुर विकास प्राधिकरण में परामर्शीय कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई थी परन्तु उन्हें निरस्त कर पुनः आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। निविदाएँ पुनः आमंत्रित कर ली गई हैं। इन निविदाओं के लिये मानक निविदा प्रपत्र का सृजन निदेशक अभियांत्रिकी, अधीक्षण अभियंता, निदेशक वित्त की समिति द्वारा किया गया एवम् आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.04.2011 को कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुमोदन कर दिया गया।

26

• अतः परामर्शीय कार्यों की निविदा के लिये मानक निविदा प्रपत्र अनुमोदन की पुष्टि हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

• बाद विचार-विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार मानक निविदा प्रपत्र स्वीकृति की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

2.3 - नवीन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन :-

उम्मेद अस्पताल के लेबर रूम में आवर्धन (परिवर्धन) का कार्य हेतु आयुक्त महोदय द्वारा रु. 116.15 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई है। अतः कार्यकारी समिति से अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

• बाद विचार-विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार जारी स्वीकृतियों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

2.4- UIDSSMT योजना के अन्तर्गत डाली गई सीवर लाईन कॉलोनियों में सड़को का निर्माण कार्य UIDSSMT योजना के अन्तर्गत निम्न जोन में सीवर लाईन डाली गई।

- 1. भदवासिया जोन - 55 किमी.
- 2. पाल जोन - 28 किमी.
- 3. झालामण्ड जोन - 42 किमी.

उपरोक्त क्षेत्र में स्थित कॉलोनियों में सीवर के अभाव में सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। चूंकि UIDSSMT योजना के अन्तर्गत सड़क का प्रावधान नहीं था। इन क्षेत्रों में सीवर लाईन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सड़क निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। कार्य का विस्तृत त्कमीना अनुसार कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमोदन हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई :-

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	शिक्षक नगर, जयमाल नगर, शिव सागर की शेष सड़कें पर सड़को का निर्माण कार्य (पैकेज संख्या-1)	133.00
2	कृष्णा नगर, अर्द्धि-सिद्धी नगर, राजीव गांधी कॉलोनी में सड़को का निर्माण कार्य (पैकेज संख्या-2)	147.00
3	गुरू राजाराम नगर, पार्वनाथ नगर, गायत्री नगर (पैकेज संख्या-3)	136.00
4	गुलजार नगर, बिचला बास, न्यू परिहार नगर (पैकेज संख्या-4)	149.00
5	भदवासिया स्कूल के पीछे से माता का थान तक दो लेन सड़क का निर्माण कार्य (पैकेज संख्या-3)	115.00

26

बाद विचार विमर्श उपरोक्त कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

2.5 विवेक विहार योजना में विकास कार्य :-

(1) विवेक विहार योजना में निम्न कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है :-

(i) विवेक विहार योजना में जंगल कटिंग, लेवलिंग इत्यादि का कार्य	रु. 15.00 लाख
(ii) विवेक विहार योजना में विभिन्न मेटल सड़कों का निर्माण	रु. 125.00 लाख
(iii) विवेक विहार योजना में चिनाई के बोर्डर पिलर बनाने का कार्य	रु. 2.00 लाख
(iv) विवेक विहार योजना में गेट व चौराहो की डिजाईन हेतु कन्सलटेन्सी का कार्य	रु. 1.50 लाख
(v) विवेक विहार योजना में फेज द्वितीय के अन्तर्गत सड़को का निर्माण कार्य	रु. 230.22 लाख
(vi) विवेक विहार योजना में फेज तृतीय के अन्तर्गत ग्रेवल सड़को का निर्माण कार्य	रु. 85.31 लाख
(vii) विवेक विहार योजना के विभिन्न सेक्टर एवं सड़को पर मुटाम लगाने का कार्य	रु. 25.70 लाख
योग :	484.73 लाख

उक्त कार्य प्रगतिरत है। विवेक विहार योजना में निम्न नये कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है। ताकि योजना का समग्र विकास त्वरित गति से हो सके :-

(i) विवेक विहार योजना में सेक्टर "के" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	: रु. 140.00 लाख
(ii) विवेक विहार योजना में सेक्टर "एल" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	: रु. 100.00 लाख
(iii) विवेक विहार योजना में सेक्टर "एम" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	: रु. 91.00 लाख
(iv) विवेक विहार योजना में सेक्टर "एन" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	: रु. 120.00 लाख
(v) विवेक विहार योजना में सेक्टर "ओ" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	: रु. 118.00 लाख
(vi) विवेक विहार योजना में सेक्टर "एफ" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य	: रु. 70.00 लाख
(vii) विवेक विहार योजना में सेक्टर "जी" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	रु. 77.00 लाख

(viii) विवेक विहार योजना में सेक्टर "एच" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य ।	: रु. 80.00 लाख
(ix) विवेक विहार योजना में सेक्टर "ई" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य ।	: रु. 82.00 लाख
(x) विवेक विहार योजना में सेक्टर "आई" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य	: रु. 65.00 लाख
(xi) विवेक विहार योजना में सेक्टर "जे" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य	: रु. 70.00 लाख
(xii) विवेक विहार योजना में सेक्टर "सी" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य	: रु. 150.00 लाख
(xiii) विवेक विहार योजना में सेक्टर "डी" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य	: रु. 150.00 लाख
(xiv) विवेक विहार योजना में सेक्टर "बी" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य	: रु. 150.00 लाख
(xv) विवेक विहार योजना में सेक्टर "ए" में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य	: रु. 100.00 लाख
(xvi) विवेक विहार योजना में सेक्टर 9 हाऊसिंग बोर्ड से पाली रोड-सांगरिया गांव सड़क तक नाला निर्माण कार्य ।	: रु. 120.00 लाख
(xvii) विवेक विहार योजना में सेक्टर 9 हाऊसिंग बोर्ड से पाली रोड-सांगरिया गांव सड़क तक की सीवर लाईन शिफ्टिंग का कार्य ।	: रु. 50.00 लाख
(xviii) विवेक विहार योजना में विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न बोर्डों की आपूर्ति का कार्य ।	: रु. 20.00 लाख
कुल योग	: रु. 1840.00 लाख

उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया ।

बाद विचार विमर्श उपरोक्त कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया ।

2.6- निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् जारी किये गये कार्यादेशों का अनुमोदन-

निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् जारी किये गये कार्यादेशों की पुष्टि कार्यकारी समिति की पूर्व बैठक दिनांक 01 मार्च, 2011 में रखी गई थी. बैठक में इन कार्यों के कार्यादेशों के जारी करने की पुष्टि कर दी गई थी परन्तु टंकण में त्रुटि के कारण लिये गये निर्णय अंकित नहीं हुआ इसके स्थान पर जो नवीन कार्य स्वीकृत किये गये उसकी सूची अंकित हो गई। इस कारण पूर्व में रखे गये निम्नलिखित कार्यों की पुनः पुष्टि हेतु प्रस्तुत की गई ।

268

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (शशि लाखो में)
1	राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर परिसर में विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण मय दो वर्ष तक संचारण का कार्य।	23.00
2	राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर परिसर में विभिन्न खेल मैदानों की सिंचाई हेतु स्क्रॉटर स्पीकलर सिस्टम के लिये का सामान की आपूर्ति, लगाने तथा टेस्ट कर चालू करने का कार्य (मय दो वर्ष तक संचारण का कार्य)।	7.00
3	शास्त्री सर्कल से भूजल विभाग होते हुए न्यु पावर हाउस तक, जलजोग चौराहे से मेडीकल कॉलेज तक मुख्य मार्ग तक, ग्रीन गेट चौराहा से सेनापति भवन होते हुए पीडब्ल्यूडी चौराहा तक, रातानाडा बाजार चौराहे से डिफेन्स लेव चौराहे तक, बनाड मैन रोड से डिगाडी गांव चौराहे तक, सुभाष सर्कल रातानाडा से केसर बाग लोको कॉलोनी तिराहा तथा लोको कॉलोनी से बाला सती माता मंदिर पुलिस लाईन तक, एयर फोर्स स्टेशन से हरिपुरा व्यास कॉलोनी टेम्पो स्टेण्ड होते हुए गोल्फ कोर्स गुरु द्वारा तिराहा होते हुए पोली मैदान के सामने सरदार क्लब तक, सेना क्षेत्र तिराहे से पाबुपुरा/विनायिका होतु हुए पाली बाईपास तक, एयरफोर्स परिसर बीआरटीएस के पास से पुरानी सरदार समंद मार्ग पर पाली बाई पास रोड तक इत्यादि एरिया में आवश्यकतानुसार सड़क बाधक पोली, ट्रांसफार्मर, HT/LT लाईन इत्यादि शिफ्ट अथवा अण्डरग्राउण्ड करने का कार्य।	120.05
4	आखलिया चौराहे से प्रताप नगर टेम्पो स्टेण्ड तक फुटपाथ एवं पार्किंग का कार्य।	77.21
5	प्रताप नगर शमशान रोड पर डामरीकरण का कार्य।	71.82
6	सांगरिया फाटा से बोरानाडा तक डब्ल्यू बी. एम. व डामरीकरण का कार्य	92.26
7	बासनी गांव में सिमेन्ट सड़क व सीवर लाईन का कार्य	60.39
8	बासनी ऑवर ब्रिज से पाल रोड तक सड़क विकास के लिए जे.सी.बी. द्वारा झाडी सफाई का कार्य	2.00
9	संबल भगवान महावीर विकलांग सहायक समिति महिला प्रकोष्ठ हाथीराम का औड़ा में विकलांग नेत्रहीन विद्यार्थीयों एवं महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु एक हॉल निर्माण कार्य	2.00

उपरोक्त प्रकरणों में कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। जिनके अनुमोदन हेतु बैठक में प्रस्तुत किया

गया।

बाद विचार-विमर्श जारी कार्यादेशों की पुष्टि की गई।

2.7— संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पुष्टि

269

संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के प्रकरण निम्नानुसार है—

कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	कुल संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1. संबल भगवान महावीर विकलांग सहायक समिति महिला प्रकोष्ठ हाथीराम का औठा में विकलांग नेत्रहीन विद्यार्थियों एवं महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु एक हॉल निर्माण कार्य	2.20	2.50	4.70	अतिरिक्त कार्य बाबरूम एवं टॉयलेट, सिंहादेया इत्यादि का कार्य एवं कार्यादेश में इसी संशोधित वित्तीय स्वीकृति के कारण हुई। कार्यकारी समिति में अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृति किया गया था।
2 दक्षिण जोन में पेय मरम्मत कार्य (वार्षिक दर अनुबन्ध)	25.00	9.68	34.68	गत वर्षों ऋतु के पश्चात् लगातार हो रही जलरिश् के कारण अधिक पैसा रिपेयर कार्य करवाना पड़ा जिसकी स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति में अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया था।
3. शान्तिनाथ नगर ग्राम गेवा खसरा नं. 771 से 775 तक सूरसागर रोड में सी.सी. सड़क का कार्य ।	11.36	21.64	33.00	उक्त कार्य सम्पादन के दौरान यहां के निवासियों व जन प्रतिनिधियों की मांग को मध्य नजर रखा हुए अन्य गलियों में भी सी.सी. सड़क का कार्य करवाया गया।
4 तन्हापीर दरगाह के पास पार्किंग स्थल हेतु डब्ल्यूबीएम व डामरीकरण का कार्य	20.00	15.00	35.00	उक्त कार्य सम्पादन के दौरान यहां के गणमान्य जन प्रतिनिधियों की मांग को मध्य नजर रखाते हुए पार्किंग स्थल करताये जाना आवश्यक है।
5. आखलिया चौराहे से बोम्बे मोटर्स चौराहे तक पार्किंग, फुटपाथ, नाला रखरखाव एवं नाला कवरिंग का कार्य।	60.00	19.00	79.00	यह कार्य सड़क पर प्रयाग पर है। परन्तु बोम्बे मोटर्स चौराहे पेट्रोल पम्प के पास नाला खुला होने से लोगों ने नाला कवरिंग करने हेतु रास्ता जाम किया था। इस पर आयुक्त नगर निगम एवं जेडीए अधिकारियों ने इस कार्य के साथ ही उक्त कार्य करवाने का निर्णय लिया।

• बाद विचार विमर्श जारी संशोधित स्वीकृतियों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

2.8- अतिरिक्त व अधिक कार्यों की पुष्टि

निम्नलिखित विकास कार्यों में शेड्यूल ऑफ पॉवर (Schedule of Power) के अनुसार अतिरिक्त व अधिक कार्यों की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक होने पर इसकी सक्षम स्वीकृति कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

2.8.1- जोन उत्तर में विभिन्न स्थानों पर सिविल रिपेयर का कार्य (वार्षिक दर अनुबंध)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल, नागौरी गेट चौराहे पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। निर्देशानुसार उक्त चौराहे पर मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये चौराहे पर विभिन्न विकास कार्य किये जाने है, माननीय आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति की अनुशंषा की प्रत्याशा में इसकी इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

- (1) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति :- रू. 25.00 लाख
- (2) अतिरिक्त कार्य (Extra work) :- रू. 211775/-
- (3) अधिक कार्य (Exces work) :- रू. 835989/-

2.8.2 - मेडिकल कॉलेज, दल्ले खां की चक्की तक डिवाईडर व पार्किंग क्षेत्र में लोहे की ग्रील लगाने का कार्य

डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल, नागौरी गेट चौराहे पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उक्त चौराहे पर मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये चौराहे पर विभिन्न विकास कार्य किये जाने है। जिसके अन्तर्गत चौराहे के चारो ओर लोहे की रेलिंग लगायी जानी है। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति की अनुशंषा की प्रत्याशा में इसकी इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

- 1) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति :- 60.00 लाख संशोधित स्वीकृति रू. 83.50 लाख
- (2) अतिरिक्त कार्य (Extra work) :- रू. 14150/-
- (3) अधिक कार्य (Exces work) :- रू. 562666/-

271

2.8.3-- शारत्री सर्किल पर लॉन, पेड-पौधे लगाने व उनकी सुरक्षा सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई, सुरक्षा एवं अन्य मरम्मत कार्य

डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल, नागौरी गेट चौराहे पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उक्त चौराहे पर मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये चौराहे पर विभिन्न विकास कार्य किये जाने है जिसके अन्तर्गत चौराहे के भीतर फव्वारे लगाकर सौन्दर्यकरण कार्य किया जाना है। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति की अनुशंसा की प्रत्याशा में मे इसकी इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

(1) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	:-	12.00 लाख संशोधित स्वीकृति रु. 15.00 लाख
(2) अतिरिक्त कार्य (Extra work)	:-	रु. 753749/-
(3) अधिक कार्य (Exces work)	:-	रु. 79769/-

2.8.4-- मदवसिया क्षेत्र की सड़कों, गुलजार नगर तक क्षतिग्रस्त डामर सड़क की मरम्मत का कार्य।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल, नागौरी गेट चौराहे पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उक्त चौराहे पर मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये चौराहे पर विभिन्न विकास कार्य किये जाने है जिसके अन्तर्गत समस्त विकास कार्यों के सम्पादन के पश्चात् चौराहे के चारों ओर डामरीकरण कार्य किया जाना है। उक्त कार्य की संशोधित स्वीकृति रु. 20.00 लाख (10.00+10.00) की स्वीकृति वांछित है।

(1) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	:-	रु. 10.00 लाख संशोधित स्वीकृति रु. 20.00 लाख
(2) अतिरिक्त कार्य (Extra work)	:-	रु. 940011/-
(3) अधिक कार्य (Exces work)	:-	रु. 1121155/-

2.8.5-- गोलनाड़ी उम्मेद चौक में भ्रमण पट्टिका एवं पार्क का विकास कार्य।

इस कार्य की मूल प्रशासनिक स्वीकृति 50.00 लाख रुपये की थी। 10.50 लाख रुपये की अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति कार्यकारी समिति की अनुशंसा की प्रत्याशा में जारी की गयी। इसी कार्य में गोलनाड़ी की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, नाड़ी की दिवार, साईड की रिटेनिंग दिवार इत्यादी को सुरक्षित करने तथा गेट का निर्माण करने की मांग की है। मौके की स्थिति के अनुसार आवश्यक होने पर इसी संवेदक से इसी कार्य के अन्तर्गत करवायी गयी। उक्त अधिक कार्य की राशि रुपये 1193383/- रुपये एवं अतिरिक्त कार्य 762042/- रुपये का सम्पादित हुआ। कार्य की कुल लागत स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के भीतर है। पूर्व के खर्च को मिलाकर कुल खर्च रु. 55.00 लाख होने की सम्भावना है। अतः प्रकरण निम्नानुसार अनुमादनार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

272

- (1) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति :- 50.00 लाख से संशोधित कर 55.00 लाख रु करने हेतु।
- (2) अतिरिक्त कार्य (Extra work) :- रु. 1193383/-
- (3) अधिक कार्य (Exces work) :- रु. 762042/-

2.8.6 - शतानाडा बाजार के सागने पार्क का नवीनीकरण का कार्य :

उक्त कार्य सम्पादन के दौरान वहां के निवासियों व जन प्रतिनिधियों की मांग को मध्य नजर रखते हुये कार्य करवाया गया। अतः निम्नानुसार स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

- (1) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति :- रु. 3.96 लाख
- (2) अतिरिक्त कार्य (Extra work) :- रु. 1.10 लाख
- (3) अधिक कार्य (Exces work) :- रु. 2.10 लाख

विचार-विमर्श के बाद पैरा संख्या 2.8.1 से 2.8.6 में वर्णित अधिक/अतिरिक्त कार्यों की जारी स्वीकृतियों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या -3 :: 90बी के तहत पढ़े जारी करने के सम्बन्ध में :-

भू-राजस्व अधिनियम की धारा-90बी के तहत दिनांक 17.06.1999 से पूर्व बसी कृषि भूमि पर कॉलोनियों का सर्वे कर ले-आउट अनुमोदन करने के पश्चात् "प्रशासन शहरों के संग अभियान" में पढ़े जारी करने बाबत विचार-विमर्श एवं जारी निर्देशों का अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति ने बाद विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90(1) के बकाया मामलों में टोटल स्टेशन सर्वे करवाया जाकर मौका स्थिति एवं उपलब्ध ले-आउट प्लान के अनुसार ले-आउट प्लान बनाया जावे। ले-आउट प्लान को राजस्व नक्शे पर सुपर ईपोज किया जावे। तत्पश्चात् ले-आउट प्लान के अनुमोदन के सदर में समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित कर आपत्ति/दावा/आमन्त्रित किये जावे साथ ही ले-आउट प्लान की प्रति जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जावे। प्राप्त दावे आपत्तियों पर सुनवाई कर जोनल लेवल समिति द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जावे। प्रकरण में यदि 70 प्रतिशत से अधिक आवासीय क्षेत्र अधवा अन्य स्वीकृति अपेक्षित हो तो जोनल लेवल समिति मय अभिशंषा प्रकरण अग्रपित करें।

उक्त प्रक्रिया के साथ-साथ भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90बी (1) के तहत भूमि पुन. ग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जावे।

एजेण्डा संख्या -4 :: अधिकारियों/कर्मचारियों को दूरभाष (मोबाईल सिम) सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में

गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 1 मार्च, 2011 में लिये गये निर्णयानुसार अधीक्षण अभियंता एवं अधिशापी अभियंता को दूरभाष की सुविधा हेतु श्रेणी-2 में रखा गया था। एवं सहायक अभियंता तथा

273

कनिष्ठ अभियंता के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदित प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर आज की आवश्यकता को देखते हुए निम्नांकित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये :-

1. अधीक्षण अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता एवं समकक्ष अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित रु 1750/- प्रतिमाह की सुविधा दूरभाष (लैण्ड लाईन व मोबाईल सहित) हेतु दिया जाना प्रस्तावित है।
2. सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता को श्रेणी-2 के अन्तर्गत सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।

4. विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता के समकक्ष के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित रु. 1750/- प्रतिमाह की सुविधा दूरभाष (लैण्ड लाईन व मोबाईल सहित) देने का निर्णय लिया गया।

इसी प्रकार सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता तथा इनके समकक्ष के अधिकारियों को द्वितीय श्रेणी में रखने का निर्णय लिया गया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि इस श्रेणी में समस्त अधिकारियों जो कि सहायक अभियंता एवं समकक्ष हैं अधिकतम 750/- रुपये प्रतिमाह एवं कनिष्ठ अभियंता एवं समकक्ष हैं को 600/- रुपये प्रतिमाह तक का ही पुनर्भरण किया जायेगा।

बैठक में निम्न प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा की गई :-

प्रस्ताव संख्या :: ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 269/1 कुल रकबा 97 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से 30 बीघा भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन (भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 3/2011)

प्राधिकरण द्वारा ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 269/1 की कुल रकबा 97 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से 30 बीघा भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2011 को दो समाचार-पत्र यथा दैनिक नवज्योति व दैनिक जलतेदीप में आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया है।

प्रकरण के संबंध में कार्यकारी समिति की बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण के स्वामित्व की ग्राम कुडी भगतासनी की खसरा संख्या 269/1 की कुल रकबा 97 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से 30 बीघा भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की उपरोक्त प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की अनुशंसा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या :: प्राधिकरण के स्वामित्व की विभिन्न भूमियों के भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

274

कार्यकारी समिति की बैठक में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की निम्नलिखित भूमियों में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी है:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा	वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	पालडी खिचियान	167	681-01 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय, संस्थानिक, आवासीय एवं व्यवसायिक
		93/1	1000-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		123	19-14 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		74	23-15 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		64	273-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		154	246-02 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		95	129-02 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		106	573-15 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		93	2134-03 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		80	342-04 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
2.	झालामण्ड	413	74-09 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थानिक) एवं सार्वजनिक सुविधाएं
3.	भवाद	296	83-03 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थानिक) एवं सार्वजनिक सुविधाएं
4.	बड़ली	88	46 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
5.	कांकाणी	587	296-01 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थानिक) एवं सार्वजनिक सुविधाएं
6.	इन्द्रोका	63	2-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
7.	केरु	852	5-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
8.	पोपावास	248/122	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
9.	घंटियाली	298	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
10.	पुनिया की प्याऊ	235/4	2-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं

275

11.	चावण्डा	03	1-16 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
12.	कैरु	183	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
13.	सालोडी	635	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
14.	डेरियानाडा	506	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
15.	बेरु	1	12-10 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
		102/2 मीन	40-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
16.	सोलूडी	18/2	156-05 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
		188/1	76-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
17.	मालूगा	327	18-10 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
		276	123-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
		272	16-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
		390	15-16 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
		111	61-15 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
18.	नैरवां चारणा	309/2	18-10 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
19.	बडा कोटेचा	325/1	123-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
20.	बाडी	323/1	154-09 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
		11/1	30-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
21.	डिगाडी	105/1	154-09 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
22.	डिगाडी	107/1	92-13 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
23.	दुग्गर	282	1030 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
24.	तिवरी	545	109-06 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
		546	80-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
25.	मशानिया	2	4-19 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
26.	खोखरिया	149	39-07 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं

276

27.	सूरपुरा	6	354-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
28.	सूरपुरा	7	10385-35 वर्ग गज	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
29.	मोगडा खुर्द	142 295	601-12 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थानिक)
30.	मोगडा कला	213	123-09 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थानिक)
31.	कांकाणी	540	192-03 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थानिक)
32.	झालामण्ड	707	48-16 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय
		847	6-10	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय
33.	लोरडी पण्डित जी	100	172-10 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थानिक)
		103	196-09 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		104	291-01	परिधि नियंत्रण पट्टी	
34.	चौखा	827/ 650	340-07 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थानिक)
35.	देसूरिया विश्वनोईया	55 व 56	98-16 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थानिक)

बैठक में सचिव द्वारा अवगत कराया कि उपरोक्त भूमियां परिधि नियंत्रण पट्टी में अवस्थित होने तथा परिधि नियंत्रण पट्टी में भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी गई। जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30 मार्च, 2011 को उपरोक्त भूमियों में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करने हेतु आदेश प्रदान किया गया है।

बैठक में अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रकरणों में से कई प्रकरण पूर्व में ही कार्यालय में विद्यार्थीन है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित भूमियों के भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर लिये जावे तथा प्राप्त आपत्ति/सुझाव का निस्तारण सचिव स्तर पर करने की कार्यवाही की जावे-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा	वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	पालडी खिचियान	167	681-01 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय
		93/1	1000-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		123	19-14 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	

		74	23-15 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	संस्थानिक, आवासीय एवं व्यवसायिक
		64	273-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		154	246-02 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		95	129-02 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		106	573-15	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		93	2134-03 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		60	342-04 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		413	74-09 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
2.	झालामण्ड	413	74-09 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय एवं संस्थानिक) एवं सार्वजनिक सुविधाएं व्यवसायिक एवं सार्वजनिक
3.	भवाद	296	83-03 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय एवं संस्थानिक) एवं सार्वजनिक सुविधाएं व्यवसायिक एवं सार्वजनिक
4.	बड़ली	88	46 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
5.	कांकाणी	587	296-01 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय एवं संस्थानिक) एवं सार्वजनिक सुविधाएं व्यवसायिक एवं सार्वजनिक
6.	इन्द्रोका	63	2-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
7.	कैरू	852	5-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
8.	पोपावास	248/122	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
9.	घंटियाली	298	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
10.	पूनिया की प्याऊ	235/4	2-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
11.	चावण्डा	03	1-16 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
12.	कैरू	183	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
13.	सालोडी	635	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
14.	डेरियानाडा	506	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
15.	मथानिया	2	4-19 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
16.	खोखरिया	119	39-07 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
17.	सुरपुर	6	354-00	परिधि नियंत्रण	सार्वजनिक सुविधाएं

2786

			बीघा	पट्टी	
18.	सूरपुरा	7	10385-35 वर्ग गज	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविचार
19.	झातामण्ड	707	46-16 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय
		847	6-10	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय
20.	लोरडी पण्डित जी	100	172-10 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यवसायिक एवं सस्थानिक)
		103	196-09 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		104	291-01	परिधि नियंत्रण पट्टी	
21.	चौखा	827 / 650	340-07 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यवसायिक एवं सस्थानिक)

तत्पश्चात् बैठक सघन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2011 / JDA/5 / DCC/1802-II / 1086-10 / दिनांक - 12/5/2011
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
2. जिला कलेक्टर जोधपुर।
3. निजी सचिव अध्यक्ष/आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर।
5. मुख्य अधिकारी अधिकारी नगर निगम, जोधपुर।
6. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
7. मुख्य महाप्रबंधक जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
8. प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जोधपुर।
9. निदेशक अभियांत्रिकी/वित्त/विधि/आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. अधीक्षण अभियंता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
11. उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
13. उप नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर